श्री सभापति : आप सुनिए। उनका सिम्पल सुझाव था कि इन स्कीम्स के बारे में स्कूल्स और विश्वविद्यालयों में बच्चों को जानकारी देने के लिए क्या कोई व्यवस्था है? आप इसको देख लीजिए।

श्री रतन लाल कटारिया : सभापति महोदय, इसके बारे में व्यवस्था सारी है और माननीय सदस्या को इससे अवगत करा दिया जाएगा।

श्री अमर शंकर साबले : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों, विमुक्त, घुमन्तू और अर्द्ध-घुमन्तू जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों और पारंपरिक शिल्पियों की श्रेणियों के छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर स्तरीय एवं पीएच.डी. पाठ्यक्रमों में उच्चतर अध्ययन करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस वर्ग की लोकसंख्या और छात्रों की संख्यानुसार विदेश में शिक्षा के लिए भेजने वाले छात्रों की संख्या बढ़ाने की सरकार की क्या कोई योजना है?

श्री रतन लाल कटारिया : माननीय सभापति महोदय, अभी एस.सी. केटेगरी के 100 छात्रों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजने का प्रावधान है और 20 Disabled persons को भेजने का प्रावधान है। लेकिन जो तथ्य सामने आये हैं, उनके हिसाब से इतने छात्र भी merit के आधार पर अभी नहीं मिल पाये हैं, हमने जितनी कि संख्या तय करके रखी हुई है। जब यह quota पूरी तरह से fulfill हो जाएगा, तब उसके ऊपर विचार किया जा सकता है।

MR. CHAIRMAN: Q. No. 170

Violence against migrant labourers

*170. SHRI AHAMED HASSAN : Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that violence against migrant labourers has increased in the last three years;

(b) if so, the details of migrant labourers of West Bengal affected in other parts of the country in the last three years;

(c) whether Government has taken any step to ensure the safety of migrant labourers within the country; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI SANTOSH KUMAR GANGWAR) : (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Home.

Statement

(a) No such incident has been reported to the Ministry of Labour & Employment.

(b) Question does not arise in view of (a) above.

(c) and (d) In order to safeguard the interest of the Migrant workers, the Central Government has enacted the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1979 to protect the interest of the migrant workers who migrate within India for Jobs/better employment opportunities. The Act provides for registration of certain establishments employing Inter State Migrant Workers, licensing of contractors etc. Workers employed with such establishment are to be provided payment of minimum wages, journey allowance, displacement allowance, residential accommodation, medical facilities and protective clothing etc.

SHRI AHAMED HASSAN: Sir, the answer given by the Minister refers to Inter-State Migrant Workmen Act, 1979. My first supplementary is: How many business establishments are following the Inter-State Migrant Workmen Act, 1979 and how many workers have benefited by this Act? Will the Minister kindly tell me the numbers?

श्री संतोष कुमार गंगवार : माननीय सभापति महोदय, यह जो एक्ट बना था, वह पुराना है, यानी वर्ष 1978 का है। अब हम श्रम कानूनों में संशोधन कर रहे हैं। जो कमी आप बता रहे हैं, वह हमारी समझ में भी आ रही है। अब अगर कोई ठेकेदार पांच से कम मजदूर ले जाता है, तो उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। इसलिए एक वास्तविक संख्या बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब हम श्रम कानूनों में संशोधन कर रहे हैं। हमारा दूसरा कोड, जो इस समय संसदीय स्थायी समिति के पास OSH Code है, उसमें ये सारी बातें आ रही हैं। उसमें इसे शामिल किया जाएगा।

SHRI AHAMED HASSAN: Sir, migrant workers from many States including Bengal have left Jammu and Kashmir because the situation there is far from normal. Approximately how many migrant workers have been affected by the abnormal situation in Jammu and Kashmir and when will the situation in Jarnmu and Kashmir be safe for migrant workers where even former CMs have been detained?

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, यह जानकारी अभी हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिली है। हम इसकी जानकारी ले रहे हैं और इसमें जो भी तथ्य होंगे, उनसे माननीय सदस्य को अवगत कराने का काम करेंगे।

प्रो. मनोज कुमार झा : माननीय सभापति जी, माननीय मंत्री जी से बीते कुछ वर्षों में कई दफा चर्चा हुई कि migration के pattern को देखते हुए, उनके violence से वे बचें, उससे महफूज़ रहें, इसलिए workers' hostel की चर्चा हुई। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार workers' hostel की दिशा में कुछ विचार कर रही है?

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति जी, माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि पिछले तीन वर्षों में violence की ऐसी कोई घटना हमें देखने को नहीं मिली है। जैसा मैंने अभी प्रारंभ में बताया कि पांच से ज्यादा मजदूर जब जाते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी होता है और उसकी जानकारी भी मिलती है। अब जैसा मैंने बताया, OSH Code चर्चा में है और इस समय संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है। उसमें इसके बारे में एक पूरी और विस्तृत चर्चा होगी। इसलिए हम इस समय केवल इतना ही कह सकते हैं कि contractor के लिए कहा गया है कि वह कर्मचारी को एक पास-बुक दे और उसमें पूरा रिकॉर्ड रखा जाए एवं migrant worker की सारी चिन्ता की जाए, ये सारी बातें उसमें शामिल हैं। मुझे लगता है कि दूसरे OSH Code के पास होने के बाद इन सारी समस्याओं का निदान भी होगा और आप जो कह रहे हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई भी होगी।

DR. SASMIT PATRA: Sir, my question is related to the answer which has been provided by the hon. Minister in which it is mentioned that no such incident of violence on migrant workers has been reported to the Ministry. We usually hear that there are many reports of violence on migrant workers that come in media almost every week. Would the Ministry consider taking *suo motu* cognizance of such issues and take them for advisement rather than just mentioning that no such incident has been reported at all to the Ministry?

श्री संतोष कुमार गंगवार : महोदय, जैसा मैंने अभी बताया कि यदि ठेकेदार पांच मजदूर ले जाता है, तो उसका रिकॉर्ड रहता है और जानकारी भी रहती है। यदि मजदूर individually जाता है, तो उसका रिकॉर्ड नहीं रहता है। मेरा आग्रह यह भी है कि यदि कोई incident होता है, तो वह राज्य सरकार का विषय होता है। अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है, तो हम उसकी जानकारी भी लेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि अब यदि एक मजदूर भी जाए, तो OSH Code में वे सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम लोग आने वाले समय में इसमें सुधार करने का काम कर रहे हैं।

SHRI MANAS RANJAN BHUNIA: Sir, I want to ask one point from the hon. Minister. He has replied that the Department is considering review of the entire system and the law concerned with migrant labourers. But, in India, with its federal structure, any person, as a group or as an individual, can go freely to any State to work there. It can be a concern or an individual. What is the present set of law to protect those individuals including the incident in Jammu and Kashmir in November?

श्री संतोष कुमार गंगवार : सभापति जी, J&K इंसिडेंट की वजह से हमने कहा है कि हम जानकारी मिलते ही इस पर कार्यवाही कर रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया है कि अभी तक वह कानून, जो हमने 1978 में पास किया था, उसके अनुसार अगर एक ठेकेदार पांच मजदूरों को

[श्री संतोष कुमार गंगवार]

लेकर जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी की चिंता वह ठेकेदार करता है और उनके लिए सारी व्यवस्था करता है। यदि मजदूर individual जाते हैं, तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं आती है। मैं इतना कह सकता हूं कि हम जो नया कोड लेकर आ रहे हैं, ओएसएच कोड, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपके माध्यम से माननीय सदन से आग्रह करेंगे कि इस समय ओएसएच कोड Standing Committee के पास चर्चा के लिए गया है, यदि आप इसमें संबंधित अपने सुझाव देंगे, तो उनका समाधान भी होगा और शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा।

MR. CHAIRMAN: Next Question.

नक्सलवाद की समस्या के कारण का अध्ययन करना

*171. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नक्सल प्रभावित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नक्सलवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नक्सली गतिविधियों का जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नक्सवाद की समस्या के कारण का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ)

(i) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सरकारों के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग कर रही है।

(ii) पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा "असंतोष, अशांति और उग्रवाद के कारणों से निपटने के लिए विकास मुद्दे" पर गठित एक विशेषज्ञ समूह ने देश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या के मूल कारणों पर एक अध्ययन किया था और अप्रैल, 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तथा इसके लिए भूमि, विस्थापन, जबरन हटाए जाने, गरीबीग्रस्त आजीविका, सामाजिक उत्पीड़न, अभिशासन का अभाव और घटिया पुलिस व्यवस्था इत्यादि की कारणों के रूप में पहचान की गई थी। इस विशेषज्ञ समूह ने वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान के लिए